चुनाव : चुनौतियाँ और समाधन

डॉ0 प्रखर*

सारांश

भारत के राजनैतिक पतन का कारण चुनाव प्रक्रिया की अकार्यकुशलता है। क्योंकि यह राजनीति से अपराधी, गैर सामाजिक तत्त्वों को बाहर रखने और उनके द्वारा चुनाव प्रक्रिया को दूषित होने से नहीं रोक पाई है। पैसे की ताकत व अपराध्कि तत्व सार्वजनिक जीवन स्तर के पतन के लिए जिम्मेदार है। प्रजातन्त्रा में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि जनता अपराधी, भ्रष्ट, बेइमान नेताओं जो उनका मत ध्न या शारीरिक बल से खरीदना चाहते हैं, को मत न डाले तो हर चीज ठीक हो जायेगी और प्रजातन्त्रा सपफल होगा। चुनाव आयोग के सामने जातिवाद, राजनैतिक दलों की बढती संख्या, मिली–जुली सरकारें,राज्यों के द्वारा चुनाव के लिये ध्न देना, मंहगे चुनाव, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, मतदान कम प्रतिशत में होना, सार्वजनिक सूचना प्रणाली का दुरुपयोग, राजनीति का अपराधीकरण, कम गम्भीरता वाले व्यक्ति का चुनाव लड़ना आदि चुनौतियाँ है। हालाँकि चुनाव आयोग इस दिशा में कार्य कर रहा है, परन्तु जब तक राजनैतिक दल और मतदाता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगें, यह सपफल नहीं हो सकता। नागरिक अब ऐसे राजनैतिक दल बनाये जो ज्ञानवान, चरित्रावान और देश के सपने को पूरा करने करने वाले उम्मीदवार को सदन में भेज सके। वे एक ऐसी सरकार बनाये जो ताकतवर होते हुए भी निरकुंश न हो और मानवीय होते हुए भी कमजोर न हो। भारत में देशभक्तों और राजनीतिज्ञों की कोई कमी नहीं है, केवल बुि(मान, ईमानदार, योग्य और उच्च स्वप्न देखने वाले लोगों को विधयिका या संसद में लाने की जरूरत है।

भारतीय प्रजातन्त्रा की यद्यपि कापफी प्रशंसा की गई है, परन्तु इसमें भी जिस तरह से राजनैतिक दल कार्य कर रहे हैं उससे देश और उसके नागरिकों के हितों में बाध आ रही है। ऐसे लोग चुनकर संसद और राज्य की विधनमण्ड़ल में पहुच रहे हैं, जिनका संविधन और इसके मूल्यों के प्रति कोई समर्पण नहीं हैं कुछ नीतिया जो वो अपना रहे हैं वे गैर संवैधनिक और राष्ट्रविरोधे है।[1] राष्ट्रीय कमीशन ने संविधन की कार्यशैली को देखते हुए कहा था ''भारत के राजनैतिक पतन का कारण चुनाव प्रक्रिया की अकार्यकुशलता है। क्योंकि यह राजनीति से अपराधी, गैर सामाजिक तत्त्वों को बाहर रखने और उनके द्वारा चुनाव प्रक्रिया को दूषित होने से नहीं रोक पाई है। पैसे की ताकत व अपराध्कि तत्व सार्वजनिक जीवन स्तर के पतन के लिए जिम्मेदार है।

1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था– ''कुछ अपवादों को छोड़कर अध्कितर लोग जो चुनकर आते हैं वे ना तो कानून बनाने में प्रशिक्षित होते हैं न ही उनमें अपने काम से सम्बन्ध्ित आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। चुनाव व्यवस्था को ध्न की ताकत, बाहुबल और जाति तथा सम्प्रदाय पर आधरित वोट बैंक ने बिगाड़ दिया है। चुनाव प्रक्रिया जातिवाद और सम्प्रदायवाद को खतम करने के स्थान पर बढा रही है। चुनाव स्वतन्त्रा और निष्पक्ष नहीं होते। आज के एम.पी. और एम.एल.ए. बिना योग्यता व जिम्मेवारी के शासन में आना चाहते हैं, वे राजनैतिक ताकत को व्यक्तिगत समृ(ि का आधर मानते हैं।''

संसद और विधनमण्ड़ल की कार्यशैली पर राष्ट्रीय कमीशन ने कहा– ''इन संस्थाओं की कार्यशैली के प्रति लोगों की बैचेनी का कारण उनके द्वारा किये गये कार्य की मात्राा व गुण दोनों में आई कमी है, पिछले कुछ सालों में जितने दिन संसद या विधनमण्ड़ल ने काम किया उसकी संख्या में बहुत कमी आई है, जिन दिनों संसद या विधनमण्ड़ल ने काम किया उन दिनों भी विरोध्यिों को डराना–ध्मकाना, सदन में चीखना–चिल्लाना और सदन से वाक आऊट कर जाना आदि घटनाओं ने सदन को स्थगित करने पर मजबूर किया।'' अटल बिहारी जी ने भी कहा है कि, ''सदन अब लड़ाई के अखाड़े नजर आते हैं।''

* सहायक प्राध्यापक, (विजिटिंग) डॉ0 बी.आर. अम्बेड़कर राजकीय महाविद्यालय पलवल

अपने समय के प्रसि(वकील नानी ए0 पालखीवाला ने कहा था, ''अब समय आ गया है, कि हम राजनीतिज्ञों के गिरते चरित्रा को सुधरने के लिए संविधन में आवश्यक संशोध्न करें। नागरिक अब ऐसे राजनैतिक दल बनाये जो ज्ञानवान, चरित्रावान और देश के सपने को पूरा करने करने वाले उम्मीदवार को सदन में भेज सके। वे एक ऐसी सरकार बनाये जो ताकतवर होते हुए भी निरकुंश न हो और मानवीय होते हुए भी कमजोर न हो।

कई विशेषज्ञों की समितियों जैसे दिनेश गोस्वामी समिति, इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी, न्यायधीश वी0आर0 कृष्णा अय्यर कमेटी, भारत का कानून कमीशन, भारत का चुनाव आयोग, संविधन की कार्यशैली का मूल्यांकन करने के लिये बना राष्ट्रीय आयोग और रामकृष्ण हेज, सी0 सुब्रहमणय और कृष्णकान्त जैसे प्रसि(नेताओं ने भी विस्तृत चुनाव सुधरों के लिए सुझाव दिया।

चुनाव आयोग के सामने चुनौतियाँ

जातिवादः

वैसे तो भारत में कोई भी राजनैतिक दल पूरी तरह से किसी एक जाति समूह पर आधरित नहीं है, परन्तु वे चुनाव जीतने के लिए अनेक प्रलोभन देकर कुछ जाति समूहों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, वहीं जाति समूह भी राजनैतिक दलों पर दबाव डालते हैं कि उनकी जाति से उम्मीदवार बनाया जाये। नीतियाँ, प्रोग्राम भी जाति समूह आधर पर बनाये जाते हैं और चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन भी जातिगत आधर पर मिलता है। Caste dominates the political field particularly at the lower level.[2]

डॉ0 राध कृष्णन ने भी कहा है, भारत ने कभी भी किसी पारसी, यहुदी, ईसाई और मुसलमान को अपना ध्र्म बदलने को मजबूर नहीं किया ''जीओ और जीने दो'' यह भारत की आत्मा/भावना रही है। डॉ0 अम्बेडकर ने भी बडे जोर देकर कहा था– ''जातियों पर बल देना देश के हितों के विरू(है।'' सभी को संविधन समान नागरिकता और समान अध्किार देता है, बाल ठाकरे, उध्व ठाकरे और राज ठाकरे जैसे शिव सेना के नेता देश में महाराष्ट्रवाद पफैलाकर बाँटना चाहते हैं चुनाव आयोग को जातिगत राजनैतिक दलों को अप्रोत्साहित करना चाहिये।

सुधर के सुझाव :

उपराष्ट्रपति कृष्णकान्त ने चुनाव में जातिगत या साम्प्रदायिक प्रभाव को कम करने के लिये दो सुझाव दिये ;1द्ध किसी भी प्रतिनिध्ि को जीतने के लिये कुल डाले गये मतों के 50÷ से ज्यादा मत प्राप्त करने होंगें। ;2द्ध मतपत्रा में 'ऊपर दिये गये में से कोई नहीं' का विकल्प भी होने चाहिये ताकि अगर सभी उम्मीदवार अयोग्य हो तो उन्हें अस्वीकार कर नया चुनाव हो सके। अन्ना हजारे भी उम्मीदवार को अस्वीकार करने और वापिस बुलाने के अध्किार का समर्थन करते हैं।

बी0आर0 कृष्णा अय्यर कमेटी ने सुझाव दिया कि जाति, ध्र्म या सम्प्रदाय पर आधरित किसी भी राजनैतिक दल को मान्यता न दी जाए, और यदि डाले गये मतों की संख्या कुलों मतों की संख्या की 35÷ से भी कम हो तो पुनर्चुनाव का प्रावधन हो।

जब राजैनितक दल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो चुनाव आयोग को उन्हें एक लिखित आश्वासन देना होता है कि वे भारतीय संविधन में पूर्ण विश्वास और इसका पालन करेंगें और समाजवाद, ध्र्म निरपेक्षता और प्रजातन्त्रा का पालन करते हुये भारत की प्रभुसत्ता और एकता को बनाये रखेंगें। लेकिन अगर कोई दल जातिगत या सम्प्रदायवादी नीति का अनुसरण करता है तो चुनाव आयोग को उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अध्किार भी होना चाहिये।

राजनैतिक दलों की बढती संख्या :

भारत की एक समस्या अनेक राजनैतिक दल और उनका उद्देश्य बिना किसी विचारधरा के बस गलत या सही तरीके से सत्ता हथियाना है। कहा भी है, ज्वव उंदल बववो`चवपस जीम इतवजीश्ण

राजनैतिक दलों की कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ती संख्या से कोई भी दल बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता और भिन्न और विरोधी विचारधरा वाले दलों की सरकार बनाना मजबूरी हो जाती है। इसलिये केवल दो या तीन ही राजनैतिक दल होने चाहियें। एक काम चलाऊ सरकार बनाने के लिये सभी विचारधराएं और अच्छी सरकार की धरणा गायब हो जाती है, भ्रष्टाचार पनपता है कानून व्यवस्था तथा नियन्त्राण व्यवस्था ढ़ीली पड़ जाती है और आम नागरिक को गलत सत्ता का शिकार होना पड़ता है।[3]

मिली–जुली सरकारें :

सौदेबाजी मिली–जुली सरकार की विशेषता है। ज्यादा ध्न कमाने के लिये विभागों की सौदेबाजी होती है। मिली–जुली सरकार का प्रधनमंत्राी या मुख्यमन्त्राी किसी भी भ्रष्ट मन्त्राी को हटा नहीं सकता क्योंकि उसके पास बड़ी संख्या में प्रतिनिधि हैं और वे उसकी सरकार को गिरा सकते हैं किसी भी मन्त्राी की नियुक्ति का आधर उसकी योग्यता या ईमानदारी के स्थान पर उसके पीछे कितने विधयकों का समर्थन होता है।

राज्यों के द्वारा चुनाव के लिये ध्न देना :

राज्य द्वारा चुनाव लड़ने के लिये ध्न देने के मामले में अनेक कमेटियों की सिपफारिशों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग के द्वारा प्रयोग के रूप में, सभा करने, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारण, चुनाव साहित्य के छपवाने आदि की सुविध दी गई। इसके साथ ही कट आऊट्स, बैनर, दीवार पोस्टर, झण्डियाँ और गाड़ियों की संख्या भी निर्धरित की है।

संविधन में सुधर :

कार्यकारणी में सुधर के लिये संविधन में सुधर आवश्यक है। यद्यपि कार्यकारणी और विधयिका को पूर्ण रूप से तो अलग नहीं किया जा सकता परन्तु एम.पी. और एम.एल.ए. मन्त्राी के अलावा और कोई कार्यकारणी का आपिफस नहीं संभालेगा और केवल चरित्रावान और योग्यता वाले व्यक्ति ही मन्त्राी बनेंगें यह शर्त आवश्यक है।

असाधरण योग्यता वाले व्यक्ति बिना चुनाव लड़े मन्त्रिा–परिषद् में सीध् शामिल किये जायेंगें इस बात की भी आवश्यकता है। वे संसद के एक्स–ऑपिफस सदस्य होंगें। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद संसद या विधनमण्ड़ल के सदस्यों के लिए कुछ निश्चित योग्यता रखना चाहते थे। पालखीवाल ने भी कहा है, ''यह बहुत बड़ा व्यंग्य है कि कानून बनाने या उसे क्रियान्वित करने जैसे कार्य के लिये कोई योग्यता या प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है और ऐसे व्यक्ति ही इतने बड़े प्रजातन्त्रा को चलतो हैं। आपको मशीन चलाने, पुल बनाने, अदालत में तर्क करने और मानव शरीर का आप्रेशन करने के लिये कई सालों का प्रशिक्षण चाहिये परन्तु 1200 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के भाग्य और जीवन को दिशा–निर्देश देने के लिये न किसी शिक्षा की आवश्यकता है और न साजो–सामान की।

सी0 सुब्रह्मणयम जो, महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे और केन्द्रीय मन्त्राी भी, ने कहा था कि विधयिका का चुनाव लड़ने वाले के लिये 12वीं पास और लोकसभा का सदस्य बनने के लिये स्नातक होना आवश्यक होना चाहिये या पिफर पंचायत राज या अन्य ऐच्छिक सेवा संगठन का अनुभव होना चाहिये।

कुछ अन्य कुप्रथाएँ

1. मंहगे चुनाव:

भारत में चुनाव लडना बड़ा मंहगा है इसलिये एक आम आदमी चाहे कितना भी ईमानदार व बु(िमान हो पैसे की कमी के कारण चुनाव नहीं लड सकता। एक अमीर आदमी पैसे और बाहुबल के आधर पर न केवल चुनाव लड़ सकता है, बल्कि जीत भी सकता है क्योंकि पैसा न केवल चुनावी औपचारिकताओं जैसे सभा आयोजित करना, इश्तिहार छपवाना, बैनर, पोस्टर बनवाना, रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण के लिये चाहिये, बल्कि मतदाताओं को घूँस देना, शराब व अन्य चीजें बाँटना, मतदाताओं को घरों से पोलिंग बूथ पर ले जाना और वहाँ से घर लाना, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना,

गैर कानूनी ढंग से वोट डलवाना सभी के लिये ध्न चाहिये। चुनाव दल ये पैसा बड़ी–बड़ी पफैक्टरी मालिकों और व्यापारियों से चन्दे के रूप में लेते हैं और बदले में सुविधओं का सौदा होता है। हाल में ही आप पार्टी की खरीद पफरोख्त का खुलासा विडियो कैसेट से हुआ है।

2. **सरकारी मशीनरी का दुरुपयोगः**

जो राजनैतिक दल सत्ता में होता है वह सरकारी नौकरों, यातायात के साध्नों और सरकारी ग्राण्ट का प्रयोग चुनाव जीतने में करते हैं। इस आधर पर मतदाताओं को डराना–ध्मकाना, नोट के बदले वोट, गलत व्यक्ति के द्वारा मतदान, मृत या जिनकी वोट शिफ्रट हो चुकी है पर मत डलवाना या मतदाता सूची में दोबारा नाम होना जैसे गैर कानूनी कार्य करवाये जाते हैं। कमजोर वर्ग, अक्षम व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार वोट डालने से रोका जाता है।

3. **कम ÷ मात्राा में मतदानः**

भारत में बहुत कम मात्राा में मतदान होता है इसके पीछे कई कारण है। उच्च वर्ग के लोग लाइन में लगकर वोट डालना अपनी शान के खिलापफ समझते हैं। पिफर कई बार मतदाताओं के नाम ही मतदाता सूची से गायब मिलते है या पिफर नाम, आयु, पिता–माता के नाम या पता सम्बन्धी गलती के कारण उन्हें वोट डालने से वंचित कर दिया जाता है। कई बार मतदाता कार्ड और मतसूची में पफोटो के भिन्न होने पर उनसे यह अध्किार छिन जाता है।

4. **सार्वजनिक सूचना प्रणाली का दुरुपयोगः**

कई बार सत्ताधरी दल रेडियो, समाचार पत्रा और दूरदर्शन प्रणाली का प्रयोग अपने हितों के लिए करती है। एक्ज़िट पोल किसी भी चुनाव लड़ने वाले दल का भविष्य निश्चित करने में बड़ा रोल अदा करते हैं।

5. **राजनीति का अपराधीकरणः**

चुनाव के दौरान राजनैतिक दल अपराध् प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव में उतारते हैं, ताकि चुनाव जीतने पर वे अपने प्रभाव से उनके विरू(चल रहे मुकद्मे बन्द करा सकें। राजनीतिक दल उनके पास ध्न बल और बाहुबल दोनों प्राप्त करने के लिये जाते है और बदले में उन्हें राजनैतिक उम्मीदवार सरंक्षण और बचाव प्रदान करते हैं। मोटे तौर पर किसी भी राज्य के चुनाव में 30÷ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपराध्कि पृष्ठभूमि से होते हैं। मापिफया नेता और गुण्डा तत्त्व शारीरिक बल के आधर पर वोट प्राप्त करते हैं। हमारी राजनीति इन भ्रष्ट नेताओं के कारण भ्रष्ट हो चुकी है, अब न केवल चुनाव जीतने के लिये अपराध्यिों से सहायता ली जाती है, बल्कि वे स्वयं ही चुनाव जीतकर विधयिका में प्रवेश कर रहे हैं।

6. **कम गम्भीरता वाले व्यक्ति का चुनाव लड़नाः**

कई बार विरोधिदल के मत काटने के लिये मुख्य राजनैतिक दल स्वतन्त्रा उम्मीदवार को खड़ा करते हैं जो जाति या सम्प्रदाय के आधर पर कुछ मत प्राप्त कर दूसरे दल के मतों की संख्या को कम करते हैं। कई बार केवल प्रसि(होने के लिये ही कुछ लोग स्वतन्त्रा रूप से चुनाव लडते हैं और अपनी सुरक्षा पूँजी तक गँवा देते हैं। अनेक उम्मीदवार होने के कारण जहाँ मतदान करवाने वाले अध्किारियों को परेशानी होती है वहीं पर भोले भाले मतदाता कई बार सही उम्मीदवार को पहचान नहीं पाते ओर गलत उम्मीदवार को मत दे देते हैं।

सुधर के लिये अन्य सुझावः

1. चुनाव आयोग का अपना स्टापफ नहीं है, इसलिये उसे चुनाव के समय केन्द्रीय ओर राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह स्टॉपफ को दोहरी जिम्मेवारी सरकार व चुनाव आयोग के प्रति निभानी होती है और इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता व कार्यकुशलता प्रभावित होती हैं। अतः चुनाव आयोग का स्थायी स्टॉपफ हो, यह समय की माँग है।

2. मुख्य चुनाव अध्किारी को अपनी जरूरतों के लिये विधयिका और कार्यकारिणी पर निर्भर न रहना पड़े।
3. राजनैतिक भ्रष्टाचार रोकने के लिये सही उम्मीदवारों को राजनैतिक दलों के माध्यम से पैसा मिले और उस ध्न के ब्यौरे की जाँच हो। भ्रष्टाचार में लिप्त उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाए।
4. सच्चा प्रजातन्त्रा लाने के लिए राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रेशन सही, ईमानदारी और बिना प्रभाव के किया जाये।
5. प्रत्येक मतदाता को अपनी इच्छा से मत डालने का अध्किार हो और उसे किसी भी अनुचित प्रभाव, अनुचित ढंग या जोर जबरदस्ती से मत ड़ालने को बाध्य न किया जावे।
6. मतदाताओं की पसन्द को गुप्त रखा जाये और चुनाव मशीनरी ईमानदारी से कार्य करें।
7. संसद कानून पास करके यह सुनिश्चित करे कि सही मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से न कटे।
8. चुनाव आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची का ग्रामीण स्तर पर निरीक्षण किया जावे और मतदाता सूची तैयार करने वाले अध्किारियों से इस सम्बन्ध् में प्रमाण पत्रा लिया जाये कि उन्हें रिवाइज किया गया है ओर जान–बूझकर किसी मतदाता का नाम नहीं काटा गया है और ऐसे होने पर जिम्मेदारी तय की जाये किसने ऐसा किया।
9. चुनाव अध्किारी को मतदाता का नाम मतदाता सूची में चुनाव के समय भी शामिल करने का अध्किार होयदि उसे कोई सही मामला लगता है तो।
10. वोट खरीदने के लिये प्रयोग होने वाले काले ध्न का पता लगाकर जब्त किया जाए।
11. दोनों राजनीतिक दल व मतदाता कानून का पालन करे।
12. आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाये और जो इसकी अवहेलना करे तो उसे दण्डित किया जाए।
13. मतदाता सूची को समय–समय पर दोहराया जाये और गलतियों को सुधरा जाये।
14. यदि चुनाव में किसी नियम का उल्लघंन होता है तो न्यायपालिका शीघ्र निर्णय ले।
15. चुनाव परिणाम शीघ्र घोषित हों।

निष्कर्ष :

प्रजातन्त्रा में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि जनता अपराधी, भ्रष्ट, बेइमान नेताओं जो उनका मत ध्न या शारीरिक बल से खरीदना चाहते हैं को मत न डाले तो हर चीज ठीक हो जायेगी और प्रजातन्त्रा सपफल होगा। हालाँकि चुनाव आयोग इस दिशा में कार्य कर रहा है, परन्तु जब तक राजनैतिक दल और मतदाता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगें, यह सपफल नहीं हो सकता। भारत में देशभक्तों और राजनीतिज्ञों की कोई कमी नहीं है, केवल बुद्धिमान, ईमानदार, योग्य और उच्च स्वप्न देखने वाले लोगों को विधयिका या संसद में लाने की जरूरत है।

References:

1. Mr. P. P. Rao:- Senior Advocate, Supreme Court, Published, date 2nd May, 2013.
2. Panandikar, V.A. Pai and Kashyap, Subhash Political Reforms, Asserting Civic Sovereignty, Konark Publication, New Delhi 2001. P-325
3. J.O. Review of the working of Political Parties in Relation of Election and Reform Options" Consultation Paper, Nirwachan Sadan, New Delhi P-118.
4. Bhanthhri, C. P. (1998). "Party without Ideology," Hindustan Times, Chandigarh, March 31.
5. Chhokar, J S (2001). "Electoral Reforms: Need for Citizen Involvement", *Economic & Political Weekly*, 20 October.
6. Election Commission of India (2004). Proposed Electoral Reforms, New Delhi:Nirwachan Sadan.
7. Kaur, Amandeep (2009). Electoral Reforms in India: Problems and Needs (1989-2009), Chandigarh: Unistar Publication, P.35

8. Loura Jitender (2014). Election Reforms in India vis-a-vis Criminalization of Politics and Right to Reject- A Review . International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR) Volume 3, No. 3.
9. Panandikar. VA. Pai and Kashyap, Subhash C. (2001). Political Reforms: Asserting Civic Sovereignty New Delhi:
10. Prakash. Chandra (1999). Changing Dimensions of the Communal Politics in India, Delhi : Dominant Publishers.
11. Reddy K Eswara (2014). Electoral Reforms in India - Issues and Recent Reforms. International Journal of Humanities and Social Science Invention : Volume 3 Issue 8 PP.26-29 .
12. Sastry Trilochan (2014). Towards Decriminalisation of Elections and Politics. Economic & Political Weekly vol XLIX no 1 .
13. Shukia, Subhash (2008). Issues in Indian Politics, New Delhi: Anamika Publishers, p.219.
14. Singh Bimal Prasad (2013). "Electoral Reforms in India – Issues and Challenges" International Journal of Humanities and Social Science Invention. Volume 2 Issue 3 PP.01-05.
15. Singhvi, L.M. (1971). Elections and Electoral Reforms in India, New. Delhi: Sterling Publishing House, p.165.

●